

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)
 पीठारीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा सिविल 2025 कैम्प स्थल - उदनाहर झरनी



धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 294/25 तार दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 27/09/2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कपासन आदेश
1	<u>उदनाहर झरनी</u>	28	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p>	<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशाषा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उदनाहर झरनी</u> प.ह. <u>उदनाहर झरनी</u> खालासं <u>28</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर निरंतर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>	

प्रतिलिपि पालनाथ:-

- पटवारी पटवार मण्डल उदनाहर झरनी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें। कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन
 (उपखण्ड अधिकारी)
तहसीलदार कपासन